न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 3032/2026

परिवाद संख्या–10841/2025

रवीन्द्र प्रसाद व अन्य बनाम बिहार राज्य

1. रवीन्द्र प्रसाद, पिता–स्व0 रामाकांत प्रसाद
2. चन्दा देवी, पति– रवीन्द्र प्रसाद

आदेश

29.08.2026 ऊपर वर्णित आवेदकगण की ओर से परिवाद संख्या–10841/2025 में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 27.01.2026 को लिए गए अपराध का संज्ञान अंतर्गत 115(2), 126(2), 336(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के कारण दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, परिवादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुनने के उपरांत अभिलेख आज आदेश हेतु नियत है।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि इसी मामले में आवेदकगण के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या 10841/2025 में दिनांक 27.01.2026 को लिए गए संज्ञान आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण वाद संख्या 350/2026 दाखिल किया गया है, जिसमें आज दिनांक 29.08.2026 को पारित आदेश से संज्ञान आदेश को अपास्त कर दिया गया है और उक्त संज्ञान आदेश अपास्त हो जाने के कारण आवेदकगण की गिरफ्तारी की आशंका अब इस वाद में नहीं है, जिसके कारण यह अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के सम्यक विश्लेषण के आधार पर इस अग्रिम जमानत आवेदन के पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

लेखापित

(राकेश कुमार–1)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
पटना।

निर्णय/आदेश की तिथि	29.08.2026
निर्णय/आदेश आरक्षित करने की तिथि	24.08.2026
अपलोडिंग तिथि	29.08.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक